

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2025—श्रावण 31, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अगस्त 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003) सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग, पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अविनाश चम्पावत, भा.प्र.से. (2003), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग तथा अति. प्रभार पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुये सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), संचालक, कोष एवं लेखा तथा अति. प्रभार संचालक, पेंशन, पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर तथा अति. प्रभार संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचालक, उद्योग एवं नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजना को केवल संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

5. श्री रवि मित्तल, भा.प्र.से. (2016), आयुक्त, जनसंपर्क तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करते हुये आयुक्त, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्रीमती जयश्री जैन, भा.प्र.से. (2016), मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) तथा अति. प्रभार संचालक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2016), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, लोक आयोग का अति. प्रभार सौंपता है.

8. श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, भा.प्र.से. (2016), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, पेंशन एवं पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

9. श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, राजभवन, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, भा.प्र.से. के संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013) प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम तथा अति. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केवल संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

10. श्री अश्वनी देवांगन, भा.प्र.से. (2018), उप सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के पद पर पदस्थ करते हुये संचालक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री अश्वनी देवांगन, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जुलाई 2025

क्रमांक 1973/एफ 12/03/2017/13/2.—राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-27 के अनुसार राज्य में उक्त नीति के तहत 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2027 की अवधि में प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा स्वयं के लिये की गई विद्युत की खपत (ऑक्जलरी खपत) एवं राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अधिसूचना क्रमांक 1958/एफ 12/03/2017/13/2 दिनांक 07-09-2021 जारी की गई है।

2. राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 के प्रावधान के पश्चात् निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है :—

“सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापनाकर्ता को कमीशनिंग तिथि से 90 दिवस की समय-सीमा उपरांत, विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक संयंत्र से उत्पादित विद्युत के स्वयं के खपत (केप्टिव खपत) एवं ऑक्जलरी खपत पर विद्युत शुल्क का मय ब्याज सहित भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। परंतु विलंब की अधिकतम अवधि 12 माह तक मान्य होगी। इस हेतु क्रेडा के अनुसंसा उपरांत, मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा राज्य शासन, ऊर्जा विभाग की अनुमति प्राप्त कर संबंधित इकाई को छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।”

3. उक्त अधिसूचना में विहित अन्य शर्तें एवं प्रक्रिया/प्रावधान यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप सचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 30 जून 2025

क्रमांक/375-क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	डभरा	कबारीपाली प.ह.नं. 14	0.165	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर मुख्यालय चांपा (छ.ग.)	घटोई जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 31 जुलाई 2025

314

0.12

597

0.03

क्रमांक/318/वा./भू.अ./प्र.क्र./202203141400005/अ-82/
2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है :—

योग

02

0.15

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-अन्तागढ़

(ग) नगर/ग्राम-मण्डागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड
अन्तागढ़ अन्तर्गत करेगांव-मण्डागांव मार्ग के कि.मी. 3/4 में
मण्डागांव नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अन्तागढ़, के कार्यालय में किया जा
सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला-कबीरधाम, छ.ग.

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400094.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के
अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के
प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी
संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	05	आगरपानी	आगरपानी	

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400096.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	05	बोहिल		

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400098.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	04	छिन्दीडीह	छिन्दीडीह	

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400099.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के

प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	06	पंडरीखार	पंडरीखार	

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400100.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	05	परसेलखार	परसेलखार	

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400101.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	04	चांटा	चांटा	

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400102.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	04	तेलियापानी धोबे	तेलियापानी धोबे	

कबीरधाम, दिनांक 7 जुलाई 2025

प्ररूप—7

रा. प्र. क्रमांक/5666/202506081400103.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा 67 उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक की ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	कुकदूर	कुकदूर	05	अधचरा	अधचरा	

गोपाल वर्मा,
कलेक्टर एवं
जिला सर्वेक्षण अधिकारी.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 जुलाई 2025

क्रमांक/121/04/योजना/बीओसी/2025/170.—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना” के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/121/04/योजना/बीओसी/2024/164 दिनांक 08-01-2025 के कंडिका 9-(a) (i) में आंशिक संशोधन एवं कंडिका 6-D, कंडिका 9-a (i) एवं कंडिका 16-को निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाता है :—

कंडिका 6. (D) —

अथवा

“प्राप्त आवेदनों में छात्र/छात्रा के कक्षा 05वीं में प्राप्तांक के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पात्र विद्यार्थीयों की प्रावीण्य सूची जिलावार तैयार कर विद्यार्थीयों का चयन किया जावेगा.”

कंडिका 9. (a) (i) —

उत्कृष्ट संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से “रूचि की अभिव्यक्ति” के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा. आवासीय विद्यालयों के साथ चर्चा के पश्चात उनसे रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव लिया जावेगा.” के स्थान पर—

“उत्कृष्ट संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से “रूचि की अभिव्यक्ति” के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर संस्थाओं को नियमानुसार इम्पैनल्ड किया जावेगा.”

अथवा

“शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. शासन द्वारा संचालित “पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना” अंतर्गत निर्धारित दरों पर इम्पैन्लमेंट संस्थानों/विद्यालयों से अनुबंध किया जाकर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अधिसूचित “अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना” संचालित की जावेगी.”

कंडिका 16.—

“योजना के नियम/शर्तों अथवा उसके क्रियान्वयन के संबंध में शिथिलीकरण शासन के अनुमोदन पश्चात् सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जा सकेगा.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

गिरीश रामटेके,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th July 2025

No. 781/Confdl./2025/II-2-3/2002 (Pt. VI).—The following District Judge (Entry Level), as specified in Column No. (2) of the table below, is, hereby, appointed to the category of District Judge (Selection Grade) in the Pay-scale of Rs. 1,63,030 - 2,19,090 from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with designation (2)	Date of appointment to the category of District Judge (Selection Grade) (3)
1.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, District and Additional Sessions Judge, Jashpur	09-07-2025

Note :— The seniority of Shri Shailesh Achyut Patwardhan is placed below the name of Shri Avinash Kumar Tripathi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Ambagarh Chowki in the gradation list of District Judge (Selection Grade). Shri Avinash Kumar Tripathi being the last officer who was granted Selection Grade Scale vide Registry Order No. 393/Confdl./2025/II-2-3/2002 (Pt. IV) dated 07-05-2025.

By order of the High Court,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.